

अनवान

1. गोपी लाल पिता हीरा कुमावत
2. नंदुडी पत्नि गोपी लाल कुमावत
सर्व निवासी मटूनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

01. बरदीचन्द पिता हेमा कुमावत
02. मगु पत्नि बरदीचन्द कुमावत
03. सूरजमल पिता हीरा कुमावत
04. लाडू पत्नि बालू कुमावत
सर्व निवासी मटूनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0गंगपुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री जगदीश चन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम ::

—: निर्णय :-

दिनांक :-24/08/2020


संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 25.11.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम मटूनिया पटवार हल्का चावण्डिया तह0 सहाड़ा स्थित आराजी नं0 1206 रकबा 0.29 हे0, 1207 रकबा 0.36 हे0, 1208 रकबा 0.10 हे0, 1209 रकबा 0.17 हे0, 1210 रकबा 0.12 हे0, 1211 रकबा 0.18 हे0, 1212 रकबा 0.19 हे0, 1213 रकबा 0.21 हे0, 1214 रकबा 0.19 हे0, 1215 रकबा 0.24 हे0, 1216 रकबा 0.34 हे0, 1220 रकबा 0.06 हे0, 1221 रकबा 0.07 हे0, 1222 रकबा 0.03 हे0 किरम गे0मु0 आराजी चाह, 1223 रकबा 0.03 हे0, 1224 रकबा 0.10 हे0, 1225 रकबा 0.24 हे0, 1226 रकबा 0.24 हे0, 1227 रकबा 0.23 हे0, 1228 रकबा 0.23 हे0 कुल कित्ता 20 कुल रकबा 3.62 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 94 पर स्थित का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2019/234 दिनांक 17.03.2020 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम मटूनिया पटवार हल्का चावण्डिया तह0 सहाड़ा स्थित आराजी नं0 1206 रकबा 0.29 हे0, 1207 रकबा 0.36 हे0, 1208 रकबा 0.10 हे0, 1209 रकबा 0.17 हे0, 1210 रकबा 0.12 हे0, 1211 रकबा 0.18 हे0, 1212 रकबा 0.19 हे0, 1213 रकबा 0.21 हे0, 1214 रकबा 0.19 हे0, 1215 रकबा 0.24 हे0, 1216 रकबा 0.34 हे0, 1220 रकबा 0.06 हे0, 1221 रकबा 0.07 हे0, 1222 रकबा 0.03 हे0 किरम गे0मु0 आराजी चाह, 1223 रकबा 0.03 हे0, 1224 रकबा 0.10 हे0, 1225 रकबा 0.24 हे0, 1226 रकबा 0.24 हे0, 1227 रकबा 0.23 हे0, 1228 रकबा 0.23 हे0 कुल कित्ता 20 कुल रकबा 3.62 हे0 भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।


अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	गोपीलाल पि० हीरालाल 1/4 श्रीमति नेनूडी पत्नि गोपीलाल 3/4 कुमावत सा०देह खातेदार	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1206	0.29
			1208	0.10
			1213	0.21
			1215	0.24
			1224/2	0.09
			1228	0.23
		योग	7	1.1750
2	बरदीचन्द पि० हेमा 1/4 श्रीमति मंगु पत्नि बरदीचन्द 3/4 कुमावत सा०देह खातेदार	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1209	0.17
			1211	0.18
			1212	0.19
			1216	0.34
			1220	0.06
		योग	6	1.18
3	सुरजमल पि० हीरा 1/4 श्रीमति लाडू पत्नि यालू कुमावत 3/4 सा०देह खातेदार	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1207/1	0.3450
			1210	0.1200
			1214	0.1900
			1221	0.0700
			1225/2	0.2200
		योग	6	1.1750
4	शामलात बदस्तुर	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1222	0.03
			1223	0.03
		योग	2	0.06
5	गोपीलाल पि० हीरालाल नेनूडी पत्नि गोपीलाल 1/2 सुरजमल पि० हीरा लाडू पत्नि यालू कुमावत 1/2 सा० देह खातेदार	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1224/1	0.01
			1225/1	0.02
		योग	2	0.03

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


(विक्रम पंचोली)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 3.

अनवान

1. गोपी लाल पिता हीरा कुमावत
2. नंदुड़ी पत्नि गोपी लाल कुमावत
सर्व निवासी मटूनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

01. बरदीचन्द पिता हेमा कुमावत
02. मगु पत्नि बरदीचन्द कुमावत
03. सूरजमल पिता हीरा कुमावत
04. लाडू पत्नि बालू कुमावत
सर्व निवासी मटूनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपरिथत :- श्री जगदीश चन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम ::

निर्णय दिनांक : 24.08.2020

डिक्री दिनांक : 24.08.2020

यह मुकदमा आज वारते इनफिरसल कतई रूबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादीगण श्री जगदीश चन्द्र चौधरी, अधिवक्ता व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	गोपीलाल पि0 हीरालाल 1/4 श्रीमति नेगूड़ी पत्नि गोपीलाल 3/4 कुमावत सा0देह खातेदार	मटूनिया (खाता संख्या 94)	1206	0.29
			1208	0.10
			1213	0.21
			1215	0.24
			1224 / 2	0.09
			1228	0.23
			1207 / 2	0.0150
	योग	7	1.1750	



2	वरवीचन्द पि० हेगा 1/4 श्रीमति मंगु पत्नि वरवीचन्द 3/4 कुमावत सा०देह खातेदार	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1209	0.17
			1211	0.18
			1212	0.19
			1216	0.34
			1220	0.06
			1226	0.24
योग			6	1.18
3	सुरजमल पि० हीरा 1/4 श्रीमति लाडू पत्नि बालू कुमावत 3/4 सा०देह खातेदार	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1207/1	0.3450
			1210	0.1200
			1214	0.1900
			1221	0.0700
			1225/2	0.2200
			1227	0.2300
योग			6	1.1750
4	शामलात बदस्तुर	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1222	0.03
			1223	0.03
योग			2	0.06
5	गोपीलाल पि० हीरालाल नेनूडी पत्नि गोपीलाल 1/2 सूरजमल पि० हीरा लाडू पत्नि बालू कुमावत 1/2 सा० देह खातेदार	मटुनिया (खाता संख्या 94)	1224/1	0.01
			1225/1	0.02
			2	0.03

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत
..... Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक Nil का अदा करे।
वशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.08.2020 को जारी किया
गया।

(विकास पंचोली)
सहायक क्लर्क पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिफ	-		मुनफरिफ	-	
मीजान	-		मीजान	-	

सहायक क्लर्क पदेन
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर